MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 23.11.2024

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु तथा सड़क सुरक्षा माह-2024 अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *133* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *36* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

*3. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट में *00* व्यक्तियों के विरूद्ध व 110 जी मे *00* व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6 . विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *19* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

7. थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त रामकलेश राय पुत्र रामबली राय निवासी गोटीयाही थाना खानपुर जनपद समस्तीपुर राज्य बिहार पास से 20 बोतल रायल स्टेज अवैध शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 439/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्ता लीला देवी पत्नी उपेन्द्र राय निवासी गोटीयाही थाना खानपुर जनपद समस्तीपुर राज्य बिहार पास से 100 क्वार्टर आफिसर्स च्वाइस अवैध अग्रेजी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 440/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्ता प्रमिला पत्नी हरिकिशुन राय निवासी शिवपुर बंघार थाना हथौड़ी कोठी जनपद समस्तीपुर राज्य बिहार पास से 100 क्वार्टर आफिसर च्वाइस अवैध शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 441/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त सलहन्ती पत्नी स्व. हरिकेश निवासी ग्राम सेमरहनी टोला सूरपार थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के पास से 05 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 306/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त अमर जीत यादव पुत्र गंगा यादव निवासी ग्राम शेष फरेन्दा थाना सोनौली के पास से 06 बोरी भारतीय यूरिया बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 00/2024 धारा 113 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

8. जनपद में दिनांक 22/23.11.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में *कुल 40 * अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।